



कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
Employees' State Insurance Corporation  
(Ministry of Labour & Employment,  
Govt. of India)

क.स.सी.नि.  
E.S.I.C.



सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय  
पंचदीप भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर - 302001  
Panchdeep Bhawan, Bhawani Singh Road, Jaipur-302001  
Phone - 0141-2989581 E-Mail : [rd-rajasthan@esic.gov.in](mailto:rd-rajasthan@esic.gov.in)  
Website : [www.esic.gov.in](http://www.esic.gov.in) / [www.esic.in](http://www.esic.in)

क्रमांक A-33015/20/2022-Admn (Comp. No. 115812) दिनांक :31-12-2025

### वर्ष 2025 का कार्यालय आदेश संख्या 189 (ई.)

सक्षम प्राधिकारी ने राजस्थान क्षेत्र में सहायक/प्रधान लिपिक संवर्ग में रिक्ति वर्ष 2026 की 75% कोटे की रिक्तियों को भरने के लिए दिनांक 16.12.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के उपरान्त, निम्नलिखित कार्मिकों को लेवल-6 [35400-112400] में नियमित आधार पर प्रधान लिपिक/सहायक पद पर पदोन्नति के आदेश प्रदान किये हैं:-

Competent Authority has ordered the promotion of following officials to the post of Head Clerk/Assistant on Regular basis in the pay scale of Level-6 (Rs.35,400-1,12,400/-) as per 7th CPC, after accepting the recommendations of DPC meeting held on 16.12.2025 for the year 2026.

क्र सं.	कर्मचारी संख्या	कर्मचारी का नाम	श्रेणी	पदोन्नति पर श्रेणी
1.	172249	श्री महावीर सिंह तंवर Sh. Mahavir Singh Tanwer	UR-EXM	UR
2.	171724	श्री अजब सिंह गुर्जर Sh. Ajab Singh Gurjar	UR-EXM	UR
3.	174186	श्री दिनेश कुमार राठी Sh. Dinesh Kumar Rathi	SC	SC

उक्त वर्णित कार्मिक पहले से ही 31.12.2025 को प्रधान लिपिक/सहायक (तदर्थ) पद पर कार्यरत हैं, उन्हें दिनांक 01.01.2026 से नियमित आधार पर प्रधान लिपिक/सहायक के पद पर पदोन्नत माना जावेगा बशर्ते वे निरंतर (without any interruption) प्रधान लिपिक/सहायक (तदर्थ) पद पर कार्यरत रहें हो एवं उपरोक्त पदोन्नति को स्वीकार करें। जिन कार्मिकों द्वारा उक्त पदोन्नति को अस्वीकार किया जावेगा, उन्हें तुरन्त प्रभाव से उनके मूल पद वरिष्ठ लिपिक पद पर पदावनत कर दिया जावेगा।

As the above officials are already officiating as Head Clerk/Assistant on 31.12.2025, they will be deemed to have been promoted to the post of Head Clerk/Assistant on regular basis from 01.01.2026 itself provided they are officiating without interruption and accept the above promotion. Those employees who refuse the said promotion will be reverted with immediate effect to the post of UDC.

नियमित पदोन्नति पर कार्मिकों का वेतन एफआर 22(l)(a)(1) के प्रावधानों के अनुसार लेवल-6

[35400-112400] में निधारेत किया जाएगा एवं वेतन निधारण के लिए कामेंक अपना विकल्प पत्र इस आदेश के जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि में प्रस्तुत कर सकते हैं। एक माह के बाद प्रस्तुत विकल्प पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

The pay on regular promotion will be fixed in Level 6 [35400-112400] as per the provisions of FR22(I)(a)(1) and the employees will exercise their options for fixation of pay within one month from the date of issue of this order. Option submitted after one month will not be considered.

उक्त वर्णित कर्मचारियों के तैनाती स्टेशन में कोई परिवर्तन नहीं है। अतः उन्हें ज्वार्डनिंग समय एवं स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।

There is no change in the place of posting of the above mentioned employees. Hence joining time and transfer grant etc. will not be payable to them.

उक्त वर्णित कर्मचारियों की प्रधान लिपिक/सहायक पद पर नियमित पदोन्नति कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी वृन्द एवं सेवा शर्तें) विनियम, 2023 एवं यथा संशोधित नियमों के अनुसार शासित होगी।

Regular promotion of the said employees to the post of Assistant/Head Clerk will be governed by the Employees' State Insurance Corporation (Staff and Conditions of Service) Regulations, 2023 and rules as amended.

उक्त वर्णित कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति स्वीकार/अस्वीकार करने की सूचना दिनांक 07.01.2026 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जावे।

The above mentioned employees should ensure to submit the information regarding acceptance/rejection of promotion by 07.01.2026.

उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि Those officials who decline the offer of promotion will not be considered for regular promotion for a period of one year from the date of refusal or till a next vacancy arises whichever is later as per para 17.12 of DOPT OM dt 10.04.1989 and will also be passed over resulting in loss of seniority, and the other officials promoted on regular basis prior to the dates of their next promotion to the cadre of Head Clerk/Assistant will become senior to them."

उपरोक्त सभी कार्मिकों को उनकी वर्तमान तैनाती स्थान पर ही पदोन्नत किया गया है। उनका स्थानान्तरण/तैनाती आदेश प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार अलग से जारी किया जाएगा।

All the above Officials are for the time being, promoted on, in situ basis at their present place of posting. Their transfer/posting order will be issued separately as per the administrative requirement in due course.

ज्वार्डनिंग रिपोर्ट की प्रति प्रशासन शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को भेजा जाना सुनिश्चित किया

जाए।

Joining report(s) may be sent to Administration Branch, Regional Office, Jaipur in due course.

Digitally signed by  
"GAJENDRA SINGH"  
Date: 31-12-2025  
15:01:05  
(गजेंद्र सिंह)

उप निदेशक (प्रशा.)  
कृते क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी

प्रतिलिपि:-

1. सम्बन्धित कर्मचारी ।
2. महानिदेशक (E-II), मुख्यालय, क.रा.बी.निगम, नई दिल्ली ।
3. डीन, क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविधालय एवं चिकित्सालय, जयपुर /अलवर।
4. सयुक्त निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर/उदयपुर।
5. चिकित्सा अधीक्षक, क. रा. बी. नि. चिकित्सालय, भिवाड़ी/बीकानेर/भिवाड़ी/उदयपुर।
6. समस्त चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी), डीसीबीओ, राजस्थान क्षेत्र ।
7. सभी शाखाधिकारी/शाखाएं, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, क्षेत्रीय निदेशक महोदय।
9. सभी शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, राजस्थान क्षेत्र।
10. सचिव, एसिक को-ऑपरेटिव सोसायटी, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर।
11. सचिव, एसिक स्टाफ यूनियन, राजस्थान क्षेत्र, जयपुर।
12. सहायक (सतर्कता/स्टेटमेन्ट/रिकार्ड/वरिष्ठता सूची), प्रशासन शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर।
13. व्यक्तिगत पत्रावली/सुरक्षा पंजिका।